



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275826
CG-DL-E-27082026-275826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4572]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4572]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4757(अ).—केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से बारह माह की अवधि के लिए मांडूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर द्वारा मैसर्स इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड, कांडला एसईजेड, गुजरात से कांडला पोर्ट, गुजरात तक सड़क मार्ग से संचलन के लिए दो लॉक्स स्टोरेज टैंक जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल वाहन भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स प्रीमियर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड उपरोक्त परिवहन के लिए दो लॉक्स स्टोरेज टैंक के संचलन हेतु मैसर्स इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	एमएच-46एआर-4252	वॉल्वो-440

2.	एमएच-46एआर-4251	वॉल्वो-440
3.	एमएच-06एक्यू-9263	वॉल्वो-एफएच-520
4.	एमएच-06एक्यू-9262	वॉल्वो-एफएच-520
5.	एमएच-06एक्यू-8264	वॉल्वो-एफएच-520
6.	एमएच-06एक्यू-8263	वॉल्वो-एफएच-520
7.	एमएच-06एक्यू-8262	वॉल्वो-एफएच-520
8.	एमएच-06एक्यू-8261	वॉल्वो-एफएच-520
9.	एमएच-46बीयू-4941	आइशर-350
10.	एमएच-46बीयू-4942	आइशर-350
11।	एमएच-46बीयू-5502	वॉल्वो-एफएच-520
12.	एमएच-46बीयू-6301	वॉल्वो-एफएच-520
13.	एमएच-46सीएल-2743	वॉल्वो-एफएच-520
14.	एमएच-46सीएल-3140	वॉल्वो-एफएच-520
15.	एमएच-46सीएल-5929	आइशर-350
16.	एमएच-46सीएल-5930	आइशर-350
17.	एमएच-46एच-0492	वॉल्वो-एफएच-520
18.	एमएच-46एआर-4253	वॉल्वो-440

3. उपरोक्त संचलन में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत स्वचालित मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर (एसपीएमटी) का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
01.	एमएच-46-बीयू-3568	टी-II	6	108
02.	एमएच-46-बीयू-3569	टी-II	6	108

03.	एमएच-46-बीयू-3570	टी-II	4	72
04.	एमएच-46-बीयू-3571	टी-II	4	72
05.	एमएच-46-बीयू-3572	टी-II	4	72
06.	एमएच-46-बीयू-3573	टी-II	4	72
07.	एमएच-46-बीयू-3574	टी-II	4	72
08.	एमएच-46-बीयू-3923	टी-II	6	108
09.	एमएच-46-बीयू-3924	टी-II	6	108
10.	एमएच-46-बीयू-3925	टी-II	6	108
11.	एमएच-46-बीयू-3926	टी-II	6	108
12.	एमएच-46-बीयू-3927	टी-II	4	72
13.	एमएच-06-एक्यू-8551	जीएच-ओल्ड	6	156
14.	एमएच-06-एक्यू-8552	जीएच-ओल्ड	6	156
15.	एमएच-06-एक्यू-8553	जीएच-ओल्ड	4	104
16.	एमएच-06-एक्यू-8554	जीएच-ओल्ड	4	104
17.	एमएच-46-एच-0601	जीएच-ओल्ड - स्प्लिट	4	104
18.	एमएच-46-एच-0602	जीएच-ओल्ड - स्प्लिट	4	104
19.	एमएच-46-एच-0603	जीएच-ओल्ड	8	208
20.	एमएच-46-बीएम-2839	जीएच-न्यू	6	156
21.	एमएच-46-बीएम-2840	जीएच- न्यू	3	78
22.	एमएच-46-बीएम-2841	जीएच- न्यू	3	78

23.	एमएच-46-बीएम-2842	जीएच- न्यू	3	78
24.	एमएच-46-बीएम-2843	जीएच- न्यू	3	78
25.	एमएच-46-बीएम-2845	जीएच- न्यू	4	104
26.	एमएच-46-बीएम-2846	जीएच- न्यू	4	104
27.	एमएच-46-बीएम-2847	जीएच- न्यू	4	104
28.	एचआर-38-एए-4554	टी-II	4	72
29.	एचआर-38-एए-9471	टी-II	4	72
30.	एचआर-38-एए-4693	टी-II	4	72
31.	एचआर-38-एए-9637	टी-II	6	108
32.	एचआर-38-एए-9995	टी-II	6	108
33.	एचआर-55-एयू-9561	टी-II	6	108
34.	एचआर-55-एयू-3351	टी-II	4	72
35.	एचआर-55-एयू-3231	टी-II	6	108
36.	एचआर-55-एयू-2151	टी-II	4	72
37.	एचआर-55-एवी-4131	टी-II	2	36
38.	एचआर-55-एवी-7101	टी-II	2	36
39.	एचआर-38-एडी-7551	टी-II	6	108
40.	एचआर-38-एडी-5751	टी-II	4	72
41.	एचआर-38-एडी-6651	टी-II	4	72
42.	एचआर-38-एडी-7731	टी-II	4	72
43.	एचआर-38-एडी-9531	टी-II	4	72
44.	एचआर-38-एडी-3231	टी-II	6	108

45.	एचआर-38-एडी-6561	टी-II	6	108
46.	एचआर-38-एडी-6111	टी-II	6	108
47.	एचआर-38-एडी-7011	टी-II	4	72
48.	एचआर-38-एडी-3321	टी-II	4	72
49.	एचआर-38-एके-1011	टी-II	6	108
50.	एचआर-55-एजेड-1851	टी-II	6	108

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	मात्रा	प्रेषित माल का नाम	टन में अलदान धुरियों का भार (एमटी)	प्रेषित माल का भार (एमटी)	वाहन का लदा भार (एमटी)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i	2	लॉक्स स्टोरेज टैंक	198एमटी	466एमटी	664एमटी	11.05	10.803 एम	46.15	8.59	9.63	30+30 धुरी (अगल-बगल)

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- इनॉक्स इंडिया लिमिटेड, कांडला एसईजेड, गुजरात से कांडला पोर्ट, गुजरात तक सड़क मार्ग द्वारा दो लॉक्स स्टोरेज टैंकों के परिवहन का विशिष्ट मार्ग।
- लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स प्रीमियर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट

प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

- vi. यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- vii. ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- viii. सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- ix. उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- x. यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- xi. सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- xii. ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- xiii. ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- xiv. ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र और हरियाणा में पंजीकृत हैं।
- xv. किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- xvi. माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- xvii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।
- xviii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी / एफओबी / ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी / ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के डायवर्जन करेगा।
- xix. ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/11/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of two Lox Storage Tank from M/s Inox India Limited Kandla Sez Gujarat to Kandla Port Gujarat on modular hydraulic trailer by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Premier Transport Limited is the transporter of M/s Inox India Limited for transportation of two Lox Storage Tank for the aforesaid movements.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

S.No.	Registration no of Prime Movers	Make
1.	MH-46AR-4252	Volvo-440
2.	MH-46AR-4251	Volvo-440
3.	MH-06AQ-9263	Volve-FH-520
4.	MH-06AQ-9262	Volve-FH-520
5.	MH-06AQ-8264	Volve-FH-520
6.	MH-06AQ-8263	Volve-FH-520
7.	MH-06AQ-8262	Volve-FH-520
8.	MH-06AQ-8261	Volve-FH-520
9.	MH-46BU-4941	Eicher-350
10.	MH-46BU-4942	Eicher-350
11.	MH-46BU-5502	Volve-FH-520
12.	MH-46BU-6301	Volve-FH-520
13.	MH-46CL-2743	Volve-FH-520
14.	MH-46CL-3140	Volve-FH-520
15.	MH-46CL-5929	Eicher-350
16.	MH-46CL-5930	Eicher-350
17.	MH-46H-0492	Volve-FH-520
18.	MH-46AR-4253	Volvo-440

3. The following independently registered Hydraulic Trailer will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
01.	MH-46-BU-3568	T-II	6	108
02.	MH-46-BU-3569	T-II	6	108
03.	MH-46-BU-3570	T-II	4	72
04.	MH-46-BU-3571	T-II	4	72
05.	MH-46-BU-3572	T-II	4	72
06.	MH-46-BU-3573	T-II	4	72
07.	MH-46-BU-3574	T-II	4	72
08.	MH-46-BU-3923	T-II	6	108
09.	MH-46-BU-3924	T-II	6	108
10.	MH-46-BU-3925	T-II	6	108
11.	MH-46-BU-3926	T-II	6	108
12.	MH-46-BU-3927	T-II	4	72
13.	MH-06-AQ-8551	GH-OLD	6	156
14.	MH-06-AQ-8552	GH-OLD	6	156
15.	MH-06-AQ-8553	GH-OLD	4	104
16.	MH-06-AQ-8554	GH-OLD	4	104
17.	MH-46-H-0601	GH-OLD-Split	4	104
18.	MH-46-H-0602	GH-OLD-Split	4	104
19.	MH-46-H-0603	GH-OLD	8	208
20.	MH-46-BM-2839	GH-NEW	6	156
21.	MH-46-BM-2840	GH-NEW	3	78
22.	MH-46-BM-2841	GH-NEW	3	78
23.	MH-46-BM-2842	GH-NEW	3	78
24.	MH-46-BM-2843	GH-NEW	3	78
25.	MH-46-BM-2845	GH-NEW	4	104
26.	MH-46-BM-2846	GH-NEW	4	104
27.	MH-46-BM-2847	GH-NEW	4	104
28.	HR-38-AA-4554	T-II	4	72

29.	HR-38-AA-9471	T-II	4	72
30.	HR-38-AA-4693	T-II	4	72
31.	HR-38-AA-9637	T-II	6	108
32.	HR-38-AA-9995	T-II	6	108
33.	HR-55-AU-9561	T-II	6	108
34.	HR-55-AU-3351	T-II	4	72
35.	HR-55-AU-3231	T-II	6	108
36.	HR-55-AU-2151	T-II	4	72
37.	HR-55-AV-4131	T-II	2	36
38.	HR-55-AV-7101	T-II	2	36
39.	HR-38-AD-7551	T-II	6	108
40.	HR-38-AD-5751	T-II	4	72
41.	HR-38-AD-6651	T-II	4	72
42.	HR-38-AD-7731	T-II	4	72
43.	HR-38-AD-9531	T-II	4	72
44.	HR-38-AD-3231	T-II	6	108
45.	HR-38-AD-6561	T-II	6	108
46.	HR-38-AD-6111	T-II	6	108
47.	HR-38-AD-7011	T-II	4	72
48.	HR-38-AD-3321	T-II	4	72
49.	HR-38-AK-1011	T-II	6	108
50.	HR-55-AZ-1851	T-II	6	108

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity	Consignment Name	Unladen Weight of axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load per Axle (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	

i	2	Lox Storage Tank (H15040 7AS-1) & (H150407AS-1)	198MT	466MT	664MT	11.05	10.803M	46.15	8.59	9.63	30+30 Axles (side by Side)
---	---	---	-------	-------	-------	-------	---------	-------	------	------	----------------------------

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- xx. The specific route for transportation of two LOX Storage Tank from M/s Inox India Limited Kandla Sez Gujarat to M/s Kandla Port Gujarat by road.
- xxi. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by M/s Premier Transport Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover (including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra and Haryana.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODC/OWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/11/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.